

प्रेषक,

अमितभा श्री वास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवार्थ,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

देहरादून दिनांक फरवरी , 2002

विषय :- महर्षि कण्व विद्या निकेतन कण्वघाटी कौटद्वार-पौड़ी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महर्षि कण्व विद्या निकेतन कण्वघाटी कौटद्वार-पौड़ी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में राज्य सरकार की निम्न-लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सीसाइटी का समय-2 पर नवीनीकरण कराया जायेगा
- 2- विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथावा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान तथा अन्य भातों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0मा0विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा नियुक्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पुस्तक/पुस्तिकाओं में रखा जायेगा ।

प्रिंसिपल/प्रधानाचार्य

महर्षि कण्व विद्या निकेतन
कण्व घाटी कौटद्वार, जिला-गढ़वा

क्रम सं T:-----2

प्रबन्धक
महर्षि कण्व विद्या निकेतन
कण्व घाटी कौटद्वार, जिला-गढ़वा

१- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

२- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

§ अमिताभा श्रीवास्तव §
अपर सचिव ।


संख्या- ५७ § ११/माध्यमिक/२००२ तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- १- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरंचल ।
- २- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
- ३- जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी-गढ़वाल ।
- ✓ ४- सम्बन्धित संस्था ।

आज्ञा से,

§ अमिताभा श्रीवास्तव §
अपर सचिव ।



प्रिन्सिपल/प्रधानाचार्य
महवि कंठ विद्या निकेतन
कंधा घाटी कोटद्वार, जिला-गढ़वाल



प्रबन्धक
महवि कंठ विद्या निकेतन
कंधा घाटी कोटद्वार (गढ़वाल)